

12-10-2021

विधि पराधीन होने, कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न में प्रार्थना की गई है। विधि पराधीन होने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न में प्रार्थना की गई है। विधि पराधीन होने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न में प्रार्थना की गई है।

क्रमांक राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उदयपुरवाटी का विधि पर विचारण है कि आवेदन पत्र में उदयपुरवाटी का नाम वृत्त में दिया जाने की आवश्यकता है / नहीं की जाती है।

(Signature)
तहसीलदार उदयपुरवाटी / मुदागीडजी

नायब उपखण्ड अधिकारी एवं फोन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुसुनु (राज.)
- आदेश -

दिनांक -

प्राची के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र पराधीन पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूत एवं तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी/मुदागीडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 130 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी/मुदागीडजी को राजस्व रिकार्ड में अग्रज दरमजद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1	खीवर	2075-78	204	921111 पति-रखदार सिंह	शांती देवी पति-रखदार सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्र.सं. - राजस्व/2020/ 62-63

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (राज.)
दिनांक 13/10/2021

1. तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी/मुदागीडजी को वारदा पालनाथ।
2. प्राची/प्राचीका शांती देवी पति-रखदार सिंह को सूचनाथ।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (राज.)